



NO. NIIRNCD/Miscellaneous/Training/Circular_Office_Order/2021

CIRCULAR

विषय / Subject: ई-ऑफिस पोर्टल के माध्यम से अवकाश आवेदन अनिवार्य / Mandatory submission of leave applications through e-Office Portal.

यह देखा गया है कि कई कर्मचारी अवकाश आवेदन भौतिक रूप से या ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि अभिलेख केवल ई-ऑफिस पोर्टल पर संधारित किए जा रहे हैं, जिससे अभिलेखों का समुचित रख-रखाव संभव नहीं हो पा रहा है। It has been observed that some employees are submitting leave applications through physical mode or email, while records are maintained only on the e-Office portal, resulting in improper record maintenance.

इस संबंध में सभी कर्मचारियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:/ In this regard, all employees are hereby instructed as follows:

1. सभी अवकाश आवेदन तत्काल प्रभाव से केवल ई-ऑफिस पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाएंगे। All leave applications must be submitted only through the e-Office portal with immediate effect.
2. दिनांक 01.01.2025 से अब तक लिए गए सभी अवकाशों को अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस पोर्टल पर दर्ज/नियमित किया जाए। / Any leave availed earlier w.e.f. 01.01.2025 onwards must be mandatorily applied and regularized on the e-Office portal.
3. पोर्टल के उपयोग में किसी प्रकार की समस्या होने पर कर्मचारी आईटी अनुभाग से संपर्क करें। In case of any difficulty while using the portal, employees may contact the IT Section for necessary assistance.
4. पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार ई-ऑफिस पोर्टल के माध्यम से अवकाश आवेदन करना अनिवार्य है तथा अभिलेख इसी प्लेटफॉर्म पर संधारित किए जाते हैं, जिन्हें सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। As per the Office Memorandum issued earlier, submission of leave through the e-Office portal is mandatory, and records are maintained only on this platform for entry into the service book.
5. दिनांक 01.01.2025 से प्रभावी, कोई भी अवकाश आवेदन जो ई-ऑफिस पोर्टल के बाहर प्रस्तुत किया गया हो अथवा स्वीकृत किया गया हो, वैध नहीं माना जाएगा और उसे पूर्व स्वीकृति के बिना अवकाश समझा जाएगा। यह प्रावधान उन मामलों पर भी लागू होगा जहाँ अवकाश ईमेल अथवा भौतिक आवेदन के माध्यम से स्वीकृत किया गया हो। ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। With effect from 01.01.2025, any leave application submitted and/or approved outside the